

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 896]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 6, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक— ESTB-103/38/2025-HOME SECTION.— छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थान को उसके तत्स्थानी कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) के अधीन घटित समस्त अपराधों एवं बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अपराधों के संबंध में “पुलिस थाना” घोषित करती है :—

स.क्र.	पुलिस थाने का नाम	पुलिस थाने से संबंधित क्षेत्राधिकार में जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	साइबर पुलिस थाना, रायगढ़	जिला रायगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र
2.	साइबर पुलिस थाना, कोरबा	जिला कोरबा का संपूर्ण क्षेत्र
3.	साइबर पुलिस थाना, राजनांदगांव	जिला राजनांदगांव का संपूर्ण क्षेत्र
4.	साइबर पुलिस थाना, कबीरधाम	जिला कबीरधाम का संपूर्ण क्षेत्र
5.	साइबर पुलिस थाना, बलौदाबाजार—भाटापारा	जिला बलौदाबाजार—भाटापारा का संपूर्ण क्षेत्र
6.	साइबर पुलिस थाना, धमतरी	जिला धमतरी का संपूर्ण क्षेत्र
7.	साइबर पुलिस थाना, महासमुंद	जिला महासमुंद का संपूर्ण क्षेत्र
8.	साइबर पुलिस थाना, जांजगीर—चांपा	जिला जांजगीर—चांपा का संपूर्ण क्षेत्र
9.	साइबर पुलिस थाना, जशपुर	जिला जशपुर का संपूर्ण क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम प्रसाद चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 21st November 2025

NOTIFICATION

ESTB-103/38/2025-HOME SECTION.— In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 7 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) and in pursuance of clause (u) of sub-section (1) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023), the state government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, declares the place specified in column (2) of the Schedule below as "Police Station" for the areas specified in the corresponding column (3) thereof, in respect of all the offences committed under the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000) and offences relating to intellectual property right:-

SCHEDULE

S.No.	Name of that Police Station	Area falling within the respective jurisdiction of the Police Station
(1)	(2)	(3)
1.	Cyber Police Station, Raigarh	Entire area of district Raigarh.
2	Cyber Police Station, Korba	Entire area of district Korba.
3	Cyber Police Station, Rajnandgaon	Entire area of district Rajnandgaon.
4	Cyber Police Station, Kabirdham	Entire area of district Kabirdham.
5	Cyber Police Station, Balodabazar-Bhatapara	Entire area of district Balodabazar-Bhatapara.
6	Cyber Police Station, Dhamtari	Entire area of district Dhamtari.
7	Cyber Police Station, Mahasamund	Entire area of district Mahasamund.
8	Cyber Police Station, Janjgir-Champa	Entire area of district Janjgir-Champa.
9	Cyber Police Station, Jashpur	Entire area of district Jashpur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAM PRASAD CHOUHAN, Secretary.